


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर दिव्ही

09.2.24

वकील शर्मा अनुपस्थित। शर्मा स्वयं
अनुपस्थित। चूंकि मूल शर्मा-पत्र से
निश्चित मूल कांड का निस्तारण हो
चुका है। इसलिए शर्मा-पत्र स्वतः
ही अमेचिवादीन हो जाता है।

अतः शर्मा-पत्र वर्तमान स्तर पर
स्वीकृत किया जाता है। धारा 171
नगर से काम की जगह पर
नकली मूल कांड के हलके हो


(रुपानि गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
दिव्ही

